# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रेमचन्द | विपक्षी : श्री कालूलाल

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 169/22

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक 01.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प सालेड़ा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रेकॅर्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकन होने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति नही जताई। विपक्षी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पूर्व में पेश की जा चुकी है जो रेकॅर्ड पर नहीं होने से आज रेकॅर्ड पर ली गई। शामिल फाईल रहें। हमने उभय पक्षकारान को सुना।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथानानुसार मौजा पुरूषोत्तमपुरा पटवार हल्का सालेड़ा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 24, 25, 26, 27 व राजस्व ग्राम सालेड़ा पटवार हल्का सालेड़ा की खाता संख्या नया 146, 207, 208 में प्रार्थी का नाम पेमा पिता नारायण/नाराण अंकित है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेमचन्द पिता नारायण है जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की पेमा पिता नारायण को प्रेमचन्द पिता नारायण के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। ग्राम सालेड़ा में पेमा पिता नारायण व प्रेमचन्द पिता नारायण दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इनके अलावा अन्य को दुसरा व्यक्ति नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का नाम पेमा पिता नारायण जाति जणवा सा. सालेड़ा के बजाय प्रेमचन्द पिता नारायण जाति जणवा सा. सालेड़ा दर्ज किये जाने की अनुशंषा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति पेश की। उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम प्रेमचन्द पिता नारायण जाहिर आया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है। अतः तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॅर्ड में गलत अंकन होने से उसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### –: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पुरूषोत्तमपुरा पटवार हल्का सालेड़ा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 24, [illegible] पटवार हल्का सालेड़ा तहसील कानोड की खाता संख्या [illegible] 207, 208 में प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र नारा[illegible] प्रेमचन्द पिता नारायण जाति ज[illegible] दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:51:12 IST
Reason: SelfAttested